

प्रकाश विभाग, नगर निगम गाजियाबाद।

नियम व शर्तें

- 1- दरें केवल नगर निगम के विद्युत विभाग मे पंजीकृत फर्मों द्वारा ही दी गई मान्य होंगी।
- 2- कार्य के लिए जमानत धनराशि का एफ.डी.आर. लगाना अनिवार्य है। जो लेखाधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद के नाम पर बंधक होगा।
- 3- निविदादाता द्वारा दरें शब्दों व अंकों, दोनों में देनी होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कटिंग व ओवराईटिंग न हो। अन्यथा की स्थिति निविदा मान्य नहीं होगी।
- 4- निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर कम्पनी द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के पठनीय हस्ताक्षर होंगे। बिना हस्ताक्षर की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 5- निविदादाता द्वारा दी गयी दरें निविदा के स्वीकार होने के पश्चात एक वर्ष तक वैध मानी जायेंगी। इस हेतु कम्पनी को नगर निगम से अनुबन्ध करना होगा।
- 6- आपूर्ति किये गये सामान की ओरिजनल होने की गारन्टी के प्रमाण हेतु कम्पनी का चालान प्रस्तुत करना होगा।
- 7- जमानत एवं धरोहर राशि के सम्बन्ध में कोई बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं होगी।
- 8- सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी और न ही उस पर विचार किया जायेगा।
- 9- निविदा स्वीकार होने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा गाजियाबाद नगर निगम के नियमानुसार लिखित अनुबन्ध करना होगा।
- 10- नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद को यह अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
- 11- उक्त शर्तों के साथ नगर निगम ठेके की सामान्य शर्तें भी लागू होंगी।
- 12- किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद का निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्षों को मान्य होगा।
- 13- नगर निगम प्रकाश विभाग मे पंजीकृत फर्मों ही ई-टैण्डरिंग मे प्रतिभाग कर सकेंगी।



अवर अभियन्ता



अधिशाली अभियन्ता (वि०य००)

मैं/हम एतदाता घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तों का भली भांति अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं/हमे किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता नहीं है तथा सभी शर्तें मुझे/हमे पूर्णतः मान्य है।

Contractor

